न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार / कैम्प कोर्ट खोहडा करमाली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1 / 164 / 13	03.07.2013	09.05.2018

उनवान

1. मौहम्मद इदरीश पुत्र सायरा उर्फ कांटूली नवासा महाजन
2. रहीमबक्श पुत्र सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन
3. अब्दुल रहमान पुत्र सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन
4. अब्दुल हक पुत्र सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन
5. अब्दुल मन्नान पुत्र सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन
6. सुगरा पुत्री सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन
7. रसीदन पुत्री पुत्र सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन जातियान मेव सभी काश्तकार ग्राम पटनभान तहसील रामगढ जिला अलवर निवासियान ग्राम कामेडा तह0 फिरोजपुर झिरका जिला नॅूह मेवात हरियाणा

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसलीदार(भू0अ0) रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम पाटनभान तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी जिसका साबिक खसरा नम्बर 347 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व इसका साबिक खसरा नम्बर 367 था जो वाद में विवादित है। विवादित आराजी पर पूर्व में वादीगण के नाना श्री महाजन पुत्र रहमत मेव का कब्जा काश्त था जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2012 से साबित है। जिनके स्वर्गवास के बाद हम वादीगण की माता सायरा उर्फ काटूली काबिज होकर काश्त करती रही तथा वर्तमान में हम वादीगण का आराजी मुतनाजा पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार विवादित आराजी पर हम वादीगण का कब्जा काश्त अपने बुजुर्गो के समय से वो राजस्थान टीनेंसी एक्ट लागू होने से पूर्व से बदस्तूर अब तक चला आ रहा है तथा वादीगण शान्ति पूर्वक बेरोकटोक खुल्लम खुल्ला विवादित आराजी में फस्ल बोते काटते आ रहे है। जिससे कानूनन एडवर्स पजेशन व राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीगण को विवादित आराजी में हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके है। विवादित आराजी से किसी भी दीगर शख्स का कोई लेना देना किसी तरह का नही है। किन्तु राजस्व अभिलेख में महताब हिस्सेदार नाम गलत प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

खिलाफ कानून व खिलाफ मौका दर्ज किया हुआ है। जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति गांव पाटनभान में नही है न ही इस नाम के व्यक्ति की आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा काश्त रहा है। इसलिए उक्त गलत इन्द्राज के कारण वादीगण के हकूक जायल होते है। जिस कारण वादीगण उक्त महताब हिस्सेदार नाम के इन्द्राजात को अपने हकूको के खिलाफ बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिलवाते हुए उक्त गलत इन्द्राजात को कागजातमाल से कलमजन करवाने के स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाते हए कागजातमाल में अमल दरामद करवाने के एवं तदानुसार दुरूस्ती करवाने के कानूनन अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री इस्तकरारहक सादिर की जाकर वादीगण को आराजी हाल खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम पाटनभान तहसील रामगढ जिला अलवर का एडवर्स पजेशन व राजस्व रिकार्ड की बिना पर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथा कागजातमाल में जो महताब हिस्सेदार का इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज करवाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तत किया जो इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम पाटनभान साबिक खसरा नम्बर 347 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व इसका साबिक खसरा नम्बर 367 था। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम पाटनभान सम्वत 2069–72 के खाता सं0 113 के खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 किस्म बंजड पर महताब हिस्सेदार राहिन मु0 सायरा उर्फ काटूली पुत्री महाजन कौम मेव सा0 देह मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल ग्राम पटनभान सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 का साबिक खसरा नम्बर 1 बीघा 4 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी बन्दोबस्त ग्राम पाटनभान सम्वत 2022 के खाता सं0 47 पर खसरा नम्बर 346 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा पर महताब हिस्सेदार राहिन महाजन वल्द रहमत मेव सा0 देह मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल ग्राम पाटनभान सम्वत 2022 में हाल खसरा नम्बर 347 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का साबिक 367 मिन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा , 661 मिन रकबा 2 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम पाटनभान सम्वत 2012–2016 में खसरा नम्बर 367 रकबा 2 बीघा 15

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

बिस्वा पर अन्धू पिसरान देवसिंह अहमद नवीरा समयसिंह महाजन वल्द रहमत हिस्सेदारान दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–2018 के खसरा नम्बर 367 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमिधारी इस्माईल वगैराह मुन्दर्जे खेवट नं0 37 व काश्तकार अन्धू वल्द देवसिंह 1 बीघा 5 बिस्वा , महाजन वल्द रहमत 1 बीघा 5 बिस्वा, अहमद खां नवीरा समयसिंह 3 बिस्वा काश्त दर्ज रिकार्ड है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोहडा करमाली में दिनांक 09.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अध्ययन किया। जिससे प्रतीत होता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम पाटनभान साबिक खसरा नम्बर 347 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व इसका साबिक खसरा नम्बर 367 था। जमाबन्दी ग्राम पाटनभान सम्वत 2069–72 के खाता सं0 113 के खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 किस्म बंजड पर महताब हिस्सेदार राहिन मु0 सायरा उर्फ काटूली पुत्री महाजन कौम मेव सा0 देह मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल ग्राम पटनभान सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 का साबिक खसरा नम्बर 1 बीघा 4 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी बन्दोबस्त ग्राम पाटनभान सम्वत 2022 के खाता सं0 47 पर खसरा नम्बर 346 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा पर महताब हिस्सेदार राहिन महाजन वल्द रहमत मेव सा0 देह मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। गिलान क्षेत्रफल ग्राम पाटनभान सम्वत 2022 में हाल खसरा नम्बर 347 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का साबिक 367 मिन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा , 661 मिन रकबा 2 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम पाटनभान सम्वत 2012–2016 में खसरा नम्बर 367 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा पर अन्धू पिसरान देवसिंह अहमद नवीरा समयसिंह महाजन वल्द रहमत हिस्सेदारान दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–2018 के खसरा नम्बर 367 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमिधारी इस्माईल वगैराह मुन्दर्जे खेवट नं0 37 व काश्तकार अन्धू वल्द देवसिंह 1 बीघा 5 बिस्वा , महाजन वल्द रहमत 1 बीघा 5 बिस्वा, अहमद खां नवीरा समयसिंह 3 बिस्वा काश्त दर्ज रिकार्ड है। सम्वत 2012 से 2016 में खाता सं0 296 पर खसरा नम्बर 367 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम पाटनभान खाता में अन्धू पिसरान देवसिंह, अहमद खां नवीरा समयसिंह, महाजन वल्द रहमत हिस्सेदारान दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादीगण के नाना महाजन का नाम हिस्से अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
...गढ़ (अलवर) राज0

दर्ज है। व खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018 में महाजन की हिस्से अनुसार काश्त दर्ज है। सम्वत 2020 जमाबन्दी में खसरा नम्बर 347 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा महताब हिस्सेदार राहिन महाजन वल्द रहमत सा0 देह मुर्तहन दर्ज है। हाल रिकार्ड में जमाबन्दी *सम्वत 2069 से 72 में* खाता सं0 113 के खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 में महताब हिस्सेदार राहिन मु0 सायरा उर्फ कांटूली पुत्र महाजन कौम मेव सा0 देह मुर्तहीन दर्ज है। अतः गत रिकार्ड सम्वत 2012 से 2016 एवं सम्वत 2020 की जमाबन्दी के अंकन तथा वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड को देखते हुए हाल रिकार्ड जमाबन्दी में से महताब हिस्सेदार राहिन मुर्तहीन का नाम कलमजन किया जाना व वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादीगण को आराजी हाल खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम पाटनभान तहसील रामगढ जिला अलवर का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल रिकार्ड जमाबन्दी में से महताब हिस्सेदार राहिन मुर्तहीन का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण के नाम का अंकन करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट खोहडा करमाली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट खोहडा करमाली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/164 /13	03.07.2013	09.05.2018

उनवान

1. मौहम्मद इदरीश पुत्र सायरा उर्फ कांटूली नवासा महाजन
2. रहीमबक्श पुत्र सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन
3. अब्दुल रहमान पुत्र सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन
4. अब्दुल हक पुत्र सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन
5. अब्दुल मन्नान पुत्र सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन
6. सुगरा पुत्री सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन
7. रसीदन पुत्री पुत्र सायरा उर्फ काटूली नवासा महाजन जातियान मेव सभी काश्तकार ग्राम पटनभान तहसील रामगढ जिला अलवर निवासियान ग्राम कामेडा तह0 फिरोजपुर झिरका जिला नूँह मेवात हरियाणा

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसलीदार(भू0अ0) रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादीगण को आराजी हाल खसरा नम्बर 473 रकबा 0.30 हैक्ट0 वाके ग्राम पाटनभान तहसील रामगढ जिला अलवर का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल रिकार्ड जमाबन्दी में से महताब हिस्सेदार राहिन मुर्तहीन का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण के नाम का अंकन करना सुनिश्चित करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)